रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112026-277593
CG-DL-E-03112026-277593

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5630] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2026/कार्तिक 6, 1948
No. 5630] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026/KARTIKA 6, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5856(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के साथ ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“20	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 07 [किमी. 20.500 से किमी. 344.170 (फाजिल्का-अबोहर- मलोट- बठिंडा-बरनाला- संगरूर- पटियाला जीरकपुर) को छोड़कर], सं.148बी, सं. 254, सं. 354ई, सं. 503, सं. 703ए, सं. 703बी, सं. 754 और एनएच सं. 703एए के उतने भाग, जो पंजाब राज्य में अवस्थित हैं।	पंजाब राज्य सरकार”

[फा. सं. एनएच-14013/16/2026-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का. आ. 1096 (अ),दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 5584 (अ), दिनांकित 12 अक्टूबर, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5856(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 20 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"20	So much of National Highways No. 07 [excluding from Km. 20.500 to Km. 344.170 (Fazilka- Abohar- Malout- Bathinda- Barnala- Sangrur- Patiala Zirakpur)], No. 148B, No. 254, No. 354E, No. 503, No. 703A, No. 703B, No. 754 and NH No. 703AA as are situated within the State of Punjab.	State Government of Punjab".

[F. No. NH-14013/16/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 5584(E), dated the 12th October, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5857(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड को कॉलम (2) में विनिर्दिष्टानुसार उक्त तालिका के कॉलम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
एनएच-154	पंजाब राज्य में पठानकोट के निकट एनएच-54 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर नूरपुर, पालमपुर, जोगिंदरनगर, मंडी, सुंदर नगर घाघस, बिलासपुर को जोड़ते हुए और हिमाचल	पंजाब राज्य में पड़ने वाला समग्र रारा I

	प्रदेश राज्य में नौनी के निकट एनएच-205 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	
एनएच-3	पंजाब राज्य में अटारी (भारत/पाकिस्तान सीमा), अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, हिमाचल प्रदेश राज्य में नादुआन, हमीरपुर, टोनी देवी, अवा देवी, मंडी, कुल्लू, मनाली, ग्रामफू, क्यलोंग को जोड़ने वाला और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लेह में समाप्त होने वाला राजमार्ग।	पंजाब राज्य में पड़ने वाला समग्र रारा I
एनएच-703	पंजाब राज्य में जालंधर के निकट एनएच-3 पर अपने जंक्शन से शुरू होकर नकोदर, मोगा, बडनी, बरनाला, हंडियाया, मनसा, झुनिर, हरियाणा राज्य में सरदूलगढ़, सिरसा, राजस्थान राज्य में नोहर, तारानगर को जोड़ते हुए और चूरू के निकट नई एनएच सं. 52 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	पंजाब राज्य में पड़ने वाला समग्र रारा I

[फा. सं. एनएच-14013/16/2026-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5857(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	**Section of National Highways**	**Chainage**
(1)	(2)	(3)
NH-154	The highway starting from its junction with NH-54 near Pathankot in the State of Punjab connecting Nurpur, Palampur, Jogindarnagar, Mandi, Sundar Nagar Ghaghas, Bilaspur and terminating at its junctiion with NH-205 near Nauni in the State of Himachal Pradesh.	Entire NH falling in the State of Punjab
NH-3	The highway connecting Atari (India/Pakistan Border), Amritsar, Jalandhar, Hoshiapur in the State of Punjab, Naduan, Hamirpur, Toni Devi, Awa Devi, Mandi, Kullu, Manali, Gramphoo, Kyelong in the State of Himachal Pradesh and terminating at Leh in the UT of Ladakh	Entire NH falling in the State of Punjab
NH-703	The highway starting from its junction near Jalandhar on NH-3 connecting Nakodar, Moga, Badhni, Barnala, Handiaya, Mansa, Jhunir in the State of Punjab, Sardulgarh, Sirsa in the State of Haryana, Nohar, Taranagar and terminating at its junction with new NH No. 52 near Churu in the State of Rajasthan.	Entire NH falling in the State of Punjab

[F. No. NH-14013/16/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5858(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1585(अ), दिनांकित 10 नवंबर, 2005 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

1	जलंधर-अमृतसर	किमी. 407.100 से किमी 456.100

[फा. सं. एनएच-14013/16/2026-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1585(अ), दिनांकित 10 नवंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5858(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1585(E), dated the 10th November, 2005, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

1	Jalandhar – Amritsar	Km. 407.100 to Km 456.100

[F. No. NH-14013/16/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 1585(E), dated the 10th November, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5859(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1634 (अ), दिनांक 27 सितंबर, 2007 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :-

1	पंजाब राज्य में अमृतसर - वाघा बॉर्डर	किमी 456.100 से किमी 491.330 तक

[फा. सं. एनएच-14013/16/2026-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1634 (अ), दिनांक 27 सितंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5859(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1634(E), dated the 27th September, 2007, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

1	Amritsar – Wagah Boder in the state of Punjab	Km. 456.100 to Km 491.330

[F. No. NH-14013/16/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 1634(E), dated the 27th September, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5860(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 380 (अ), दिनांक 24 जनवरी, 2019 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :-

एनएच-71	लम्ब्रा-शाहकोट खंड (पंजाब राज्य में)	किमी. 12.00 से किमी. 44.600 तक
एनएच -71	शाहकोट-मोगा खंड (पंजाब राज्य में)	किमी. 44.600 से किमी. 77.200
एनएच -71	मोगा-तल्लेवाल खंड (पंजाब राज्य में)	किमी. 77.200 से किमी. 114.00
एनएच -71	तल्लेवाल-बरनाला खंड (पंजाब राज्य में)	किमी. 114.00 से किमी. 149.00
एनएच -70	जलंधर-होशियारपुर खंड (पंजाब राज्य में)	किमी. 11.400 से किमी. 49.200

[फा. सं. एनएच-14013/16/2026-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 380 (अ), दिनांक 24 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5860(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 380(E), dated the 24th January, 2019, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

NH-71	Lambra-Shahkot section (in the State of Punjab)	Km. 12.00 to Km. 44.600
NH-71	Shahkot-Moga Section (in the State of Punjab)	Km. 44.600 to Km. 77.200
NH-71	Moga-Tallewall section (in the State of Punjab)	Km. 77.200 to Km. 114.00
NH-71	Tallewall-Barnala section (in the State of Punjab)	Km. 114.00 to Km. 149.00
NH-70	Jalandhar-Hoshiarpur section (in the State of Punjab)	Km. 11.400 to Km. 49.200

[F. No. NH-14013/16/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 380(E), dated the 24th January, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.03 17:26:57 +05'30'